सं0 – 58वि0नि0/38–3–2003–500(16)/2000

प्रेषक,

हरदीपक सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 17, जनवरी,2003

विषय : विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न संशोधन के साथ पढे जायेः–

" विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट–2 के बिन्दु सं0– 10 से "पूर्णतया कच्चे मार्गो का निर्माण" हटा दिया जाये एवं परिशिष्ट –1 में नये बिन्दु सं0–28 के रूप में निम्न जोड़ दिया जाये–

बिन्दु संख्या–28 " विधायक निधि के अंतर्गत दोनों सदनों के प्रत्येक मा0 सदस्यों द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत की सीमा तक अत्यन्त चुनिन्दा उन कच्चे मार्गो का निर्माण करवाया जा सकता है, जिनकी स्थानीय लोगो द्वारा अनुभव की जा रही जरूरत को पूरा करने के लिये सम्बद्ध मान्नीय सदस्य सहमत हो"

2. मार्गदर्शी सिद्धान्त उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

हरदीपक सिंह

(हरदीपक सिंह)
सचिव

संं0–58वि0नि0(1)/38–3–2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
6. विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यगण।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश।
10. मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
12. निजी सचिव, ग्रामीण अवस्थापना आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
13. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।